COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित/विलोपित

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(14)

124777548

R-530-III/2011

श्रीमती फुलझारिया पत्नी श्री गयादीन गडरिया निवासी ग्राम गौहारी तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना, म0प्र0

-- निगरानीकर्ता

बनाम

1. सिवल गडरिया तनय परसादी गड़रिया नि0 ग्राम गौहारी तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना, म0प्र0।
2. गयादीन तनय परसादी गडरिया नि0 ग्राम गौहारी तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना, म0प्र0।
3. शासन मध्यप्रदेश ।

-- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 523/अपील/010-011 आदेश दिनांक 20-1-011 शिवल गडरिया बनाम श्रीमती फुलझारिया व अन्य।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0 1959ई0।

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

(15)

निगरानी 530–तीन / 2011 जिला सतना

श्रीमती फुलझरिया विरूद्ध सिवल गडरिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 117/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30–12–2010 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जहां अपर आयुक्त ने अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है और अनावेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है। यह न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। निगरानीकर्ता इस बावत कोई ठोस तर्क या आधार इस न्यायालय में नहीं बतला सके कि अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश में क्या त्रुटि है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के यहां प्रकरण के अंतिम निराकरण संबंधी तर्क भी किये गये हैं किन्तु कोई आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा	

अनियमितता प्रकट नहीं होती है जिसमें इस निगरानी के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20–1–2011 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

8/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य